

राजस्थान राजपत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

श्रावण 17, मंगलवार, शाके 1945-अगस्त 08, 2023 Sravana 17, Tuesday, Saka 1945-August 08, 2023

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT (GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, August 8, 2023

No. F. 2(30)Vidhi/2/2023.- The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 4th day of August, 2023 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN CINEMAS (REGULATION) (AMENDMENT) ACT, 2023 (Act No. 15 of 2023)

(Received the assent of the Governor on the 4th day of August, 2023)

An

Act

further to amend the Rajasthan Cinemas (Regulation) Act, 1952.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

- **1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Cinemas (Regulation) (Amendment) Act, 2023.
 - (2) It shall come into force at once.
- **2.** Amendment in section 8, Rajasthan Act No. XXX of 1952.- For the existing section 8 of the Rajasthan Cinemas (Regulation) Act, 1952 (Act No. XXX of 1952), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-
- "8. Penalties for contravention of Act and Rules thereunder.-If the owner or person incharge of a cinematograph uses the same or allows it to be used or if the owner or occupier of any place permits that place to be used in contravention of the provisions of this Act or of the rules made thereunder or of the terms, conditions and restrictions upon or subject to which any licence under this Act has been, or is deemed to have been granted he shall be punishable with fine which shall not be less than fifty thousand rupees and in the case of a continuing offence with a further fine which may extend to five thousand rupees for each day during which the offence continues."
 - 3. Deletion of section 8-A, Rajasthan Act No. XXX of 1952.-The existing section 8-

A of the principal Act shall be deleted.

- **4. Amendment of section 9, Rajasthan Act No. XXX of 1952.** For the existing section 9 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-
- "9. Power to revoke licence.- Where the holder of a licence has been convicted of an offence under section 7 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act No. 37 of 1952) or under section 8 of this Act or for the commission of any offence under the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957 (Act No. 24 of 1957), the licence may be revoked by the licensing authority."

ज्ञान प्रकाश गुप्ता, Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग (ग्रुप-2) अधिसूचना जयपुर, 8 अगस्त, 2023

संख्या प.2(30)विधि/2/2023.- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान सिनेमाज् (रेग्युलेशन) (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2023 (एक्ट नं. 15 ऑफ 2023)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद) राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 15)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 4 मार्च, 2023 को प्राप्त हुई)

राजस्थान सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।
 - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
- 2. 1952 के राजस्थान अधिनियम सं. 30 की धारा 8 का संशोधन.- राजस्थान सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं. 30), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 8 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
- "8. अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उल्लंघन के लिए शास्तियां.- यदि, इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों या ऐसे निबंधनों, शर्तों और निर्बन्धनों, जिन पर या जिनके अध्यधीन इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञित्त प्रदान की गयी है या प्रदान की गयी समझी गयी है, का उल्लंघन करते हुए, यदि सिनेमा यंत्र का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति उस सिनेमा यंत्र का उपयोग करता है

या उपयोग किए जाने के लिए अनुज्ञात करता है या यदि किसी स्थान का स्वामी या अधिभोगी उस स्थान का उपयोग करने देता है, तो वह ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये से कम का नहीं होगा और जारी रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अपराध जारी रहता है, पाँच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।"।

- 3. 1952 के राजस्थान अधिनियम सं. 30 की धारा 8-क का हटाया जाना.- मूल अधिनियम की विदयमान धारा 8-क हटायी जायेगी।
- 4. 1952 के राजस्थान अधिनियम सं. 30 की धारा 9 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्ः
- "9. अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण करने की शक्ति.- जहां किसी अनुज्ञप्ति धारक को चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 37) की धारा 7 के अधीन या इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन किसी अपराध का या राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24) के अधीन कोई अपराध कारित करने के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो, वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति प्रतिसंहत की जा सकेगी।"।

ज्ञान प्रकाश गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।